



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी 2015—माघ 30, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, गवालियर

कैम्प भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2015

शुद्धि-पत्र

क्र. 7-ठेका-2015-16-40.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 29, दिनांक 21 जनवरी, 2015 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्र. 7-ठेका-2015-16-16 में देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2015-16 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

- (1) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 29, दिनांक 21 जनवरी, 2015 के पेज क्रमांक 58 (10) में मुद्रित कंडिका 25 की उप कंडिका 25.2 के शीर्ष विदेशी मंदिरा (स्प्यरिट) के अन्तर्गत सारणी के सरल क्रमांक 1 को निम्नानुसार पढ़ा जाये।

25.2 विदेशी मंदिरा (स्प्यरिट)

क्र.	भारत निर्मित विदेशी मंदिरा की प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मंदिरा भाण्डागार प्रदाय दर	इयूटी दर
------	---	----------

1.	रुपये 600/- तक	रुपये 115/- प्रति प्रूफ लीटर
----	----------------	------------------------------

उक्त सारणी में शेष विवरण यथावत् रहेगा।

राकेश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त।